भाग II-'ब'

प्रस्तर-1- रु. 25.37 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र का अप्राप्त रहना।

शासनादेश संख्या 604/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.) / 2012टी.सी. एवं 246/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.) / 2012टी.सी. की बिन्दु संख्या क्रमशः (VII) एवं (X) के अनुसार, धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

ए.बी.सी. कैम्पस

क्र.सं.	शासनादेश सं.	दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रु लाख मे)	धनराशि प्राप्त करने वाली इकाई का नाम	U.C प्राप्त करने का वर्ष
01	604/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.) / 2012टी.सी.	25.05.2017	1.5	NPP, मसूरी	31.03.18
02	246/IV(2)-श.वि.-2017-05(सा.) / 2012टी.सी.	27.02.2018	23.87	NN, रुद्रपुर	31.03.18
	कुल धनराशि		**25.37**		

कार्यालय निदेशक, शहरी विकास निदेशालय- देहरादून की ए.बी.सी.(एनिमल बर्थ कंट्रोल) योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में उक्त योजना हेतु नगर निकायों को कुल रु. 25.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी एवं उत्तराखंड शासन के स्वीकृति पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था, परंतु उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा तिथि तक अप्राप्त था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया गया कि अवमुक्त धनराशि रु 25.37 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित निकायों से प्राप्त कर, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

इकाई द्वारा दिये गये उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि उत्तराखंड शासन के स्वीकृति पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था ।

अतः कुल रु. 25.37 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अप्राप्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II-'ब'</u>